छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक / /2020

//आदेश//

आदेशानुसार, कोविड-19 की वर्तमान विकट परिस्थितियों में विधान सभा सचिवालय के कार्य संचालन हेतुनिम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:-

1. विधान सभा सचिवालय के संचालन में दिनांक 2.11.2020 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत अर्थात एक सप्ताह के अन्तराल में किये जाने के संबंध में पृथक से रोस्टर तैयार कर प्रमुख सचिव महोदय से अनुमोदन उपरांत दिनांक 31.10.2020 तक स्थापना शाखा को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए।
2. अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी।
3. विधान सभा सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा ।
4. समस्त अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल /फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश को अनिवार्य रूप से पालन किया जाये ।
5. विधान सभा सचिवालय के प्रमुख द्वार एवं विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार की जाए ।
6. साप्ताहिक रोस्टर में आपसी परिवर्तन बिना प्रमुख सचिव के अनुमोदन के न किया जाये ।
7. संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कार्यालय आने-जाने हेतु स्वयं के वाहन से आने की सलाह दी जाती है ।
8. उपस्थिति पंजी में प्रत्येक कर्मचारी अपनी उपस्थिति हस्ताक्षर करके दर्ज करें ।

आदेश से,

हस्ता/-

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 11213 /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक 29 / 10 /2020

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
06. सर्वर कक्ष।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा